रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01112022-239970
SG-DL-E-01112022-239970

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 489]	दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 1, 2022/कार्तिक 10, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 325
No. 489]	DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 1, 2022/KARTIKA 10, 1944	[N. C. T. D. No. 325

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 नवम्बर, 2022

फा. सं. 13(112)/विविध/2022/2487—95.—औषधि नियमावली, 1945 के नियम 44 तथा प्रसाधन नियमावली, 2020 के नियम 7 के साथ पठित औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 20 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्र सरकार के पूर्व परामर्श से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा श्री हितेश कुमार खरे, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकरी–II एवं डॉ. देबाशीष माइति, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकरी–II, क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला (आरडीटीएल), चंडीगढ़, स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय, भारत सरकार को, प्रसाधन सामग्रियों एवं औषधियों, जिसमें औषधि नियमावली, 1945 की अनुसूची ग तथा ग–1 में विनिर्दिष्ट औषधियां सम्मिलित हैं, औषधि की निम्नलिखित श्रेणियों को छोड़कर, के परीक्षण और विश्लेषण करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए सरकारी विश्लेषक के रूप में नियुक्त करते हैं :

(i) सीरा;

(ii) इंजेक्शन के लिए अभिप्रेत सीरम प्रोटीनों का विलियन ;

(iii) वैक्सीन (आंत्रेतर और मुख से);

(iv) टॉक्सिन;

(v) एंटीजन;

(vi) एंटी –टॉक्सिन;

(vii) विसंक्रमित शल्यबन्ध और विसंक्रमित टांके;

(viii) बैक्टेरियोफेग्स;

(ix) पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए एंटी–सीरा;

(x) पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए वैक्सीन;

(xi) पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए टॉक्साइड्स;

(xii) पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए नैदानिक एंटीजन;

(xii) वी डी आर एल एंटीजन;

(xiv) अन्तः गर्भाशय युक्तियॉ और फेलोप छल्ले;

(xv) मानव रक्त और मानव रक्तोत्पाद ;

(xvi) मानव इम्युनोडेफिशिएंसी विषाणु, हेपेआइटिस बी सर्फेस एंजीजन और हेपाटाइटिस सी विषाणु के लिए रक्त समूहन अभिकर्मक और नैदानिक किटें ; और

(xvii) कण्डोम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एस. के. जैन, विशेष सचिव (स्वा. एवं परि. कल्या.)

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st November, 2022

F. No. 13(112)/Misc./2022/2487-95.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), read with Rule 44 of Drugs Rules, 1945, Rule 7 of Cosmetics Rules, 2020 and prior consent of the Central Government, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Hitesh Kumar Khare, Senior Scientific Officer-II & Dr. Debasis Maiti, Senior Scientific Officer-II, Regional Drugs Testing Laboratory (RDTL), Chandigarh, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, as Government Analysts for the National Capital Territory of Delhi for carrying out the tests and analysis of cosmetics and drugs including those specified in Schedule C and C-1 of the Drugs Rules, 1945, except for classes of drugs mentioned below, namely: -

(i) Sera;

(ii) Solution of Serum Proteins intended for injections;

(iii) Vaccines (Parenteral & Oral);

(iv) Toxins;

(v) Antigen;

(vi) Anti-toxins;

(vii) Sterilized Surgical Ligatures and Sterilized Surgical Sutures;

(viii) Bacteriophages;

(ix) Anti-Sera for veterinary use;

(x) Vaccines for veterinary use;

(xi) Toxoid for veterinary use;

(xii) Diagnostic Antigens for veterinary use;

(xiii) VDRL Antigen;

(xiv) Intra-Uterine Devices and Folope Rings;

(xv) Human Blood and Human Blood Products;

(xvi) Blood Grouping reagents and diagnostic kits for Human Immunodeficiency Virus. Hepatitis B Surface Antigen and Hepatitis C virus; and

(xvii) Condom.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

S. K. JAIN, Special Secy. (H & FW)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.11.01 21:59:00 +05'30'